UPGK010020082026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश,गोरखपुर।
अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–912/2026

1–आनन्द बसफोड़ उर्फ डी.डी.आर. पुत्र टुनटुन,
2–अतिश उर्फ नाटे पुत्र टुनटुन,
निवासीगण–जटेपुर उत्तरी, डोमखाना, थाना गोरखनाथ, जनपद गोरखपुर।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रतिपक्षी,

मु0 अपराध संख्या–70/2026
धारा–191(2), 109(1), 115(2), 117(2), 324(4), 352, 351(3)
भारतीय न्याय संहिता
थाना–गोरखनाथ, जनपद–गोरखपुर।

आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा– 482 के प्राविधान के परिप्रेक्ष्य में यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण आनन्द बसफोड़ उर्फ डी.डी.आर. व अतिश उर्फ नाटे की ओर से मु0 अपराध संख्या–70/2026, धारा–191(2), 109(1), 115(2), 117(2), 324(4), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना–गोरखनाथ, जनपद–गोरखपुर के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2. मामले के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 15.02.2026 के समय करीब प्रातःकाल 10.00 बजे वादी मुकदमा जयनाथ के पुत्र श्रवण तथा वादी की छोटी बहन नन्दनी को विक्की, राहुल, सन्नी, आनन्द उर्फ डी डी आर, विकेशलाल व अतिश उर्फ नाटे व छोटू एक राय होकर वादी के घर पर आकर गाली–गुप्ता देने लगे। जब वादी का पुत्र श्रवण व वादी की छोटी बहन नन्दनी ने गाली–गुप्ता देने से मना किया तो सभी लोग एकराय होकर जान से मारने की नीयत से लाठी–डण्डा तथा लोहे की राड से मारने–पीटने लगे जिससे वादी के लड़के को काफी चोट आई और वादी के लड़के को गला दबाकर मारने लगे जोर–जोर से कहने लगे जान से मार डालो। वादी की बहन को भी मारने लगे जिससे बहन का दाहिना हाथ टूट गया तथा घर पर खड़ी तीन गाडियों को मार कर तोड़ दिये।

प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के क्रम में आहत श्रवण कुमार व नन्दनी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। आहत श्रवण कुमार की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसके शरीर पर पर निम्न चोटें पाई गई–

1-Reddish abrasion 3 5cm X0.5cm at left side forehead. 1cm above left eyebrow

2-Reddish abrasion 0.5cm X0.2cm at right side neck.4cm above right clavicle.

3-Multiple reddish abraded contusion 10cm X9cm at left arm 4cm above left elbow Joint, K/U/O adv-x-ray left arm AP&LAT.

4-Multiple reddish abrasion 9cm X3cm at left forearm, 8cm above left wrist joint, K/U/O adv-x-ray left forearm AP&LAT.

5-L/W 2cm X2.5cm X muscle deep X irregular margin with fresh bleeding present at left palm between thumb and index finger, K/U/O adv-x-ray left palm AP&LAT with fingers

6-Multiple red contusion 14cm X3cm at left thigh, 12cm above left knee joint,

7-Multiple reddish abrasion 5cm X2cm at left knee joint, K/U/O adv-x-ray left knee joint APSLAT

8-Reddish abrasion 7cm X2cm at left leg. 7cm below left knee joint

9-Reddish abrasion 1cm X1cm just above left ankle joint

10-Multiple reddish abrasion 3cm X2cm at left root, 9cm from left ankle joint

11-Multiple reddish abrasion 7cm X3cm at right arm, 3cm above right elbow joint.

12-Red contusion 7cm X2cm at right forearm, 9cm below right elbow joint.

13-Reddish abrasion 3cm X2.5cm at right forearm, 4cm above aght wrist joint.

14-Reddish abrasion 1.5cm X0.5cm at right hand middle finger.

15-Reddish abrasion 4cm X1cm at right leg, 7cm below right knee joint

16-Reddish abrasion 1cm X0.5cm at right side cheat, 5cm below right clavicle

17-Red contusion 1.5cm X0.7cm at inner aspect of lower lip

18-Multiple reddish abrasion 7cm X2cm at right side low back. 20 cm below right scapula

19-Multiple reddish abrasion 4cm X5cm at left scapula.

चिकित्सक की राय के अनुसार आहत को आई चोट सं0 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 व 19 साधारण प्रकृति की थी तथा घर्षण से आई थी। चोट संख्या–3 व 5 कठोर कुन्दालय से पहुॅचाई गई थी, चोट संख्या–7 घर्षण से आई थी तथा चोट सं0 3, 5 व 7 के लिये एक्सरे की सलाह दी गई उक्त चोटें ठोस कुन्दालय से पहुॅचाई गई थी। चोट सं0 12 व 17 घर्षण से आई थी। श्रवण कुमार के एक्सरे रिपोर्ट में कोई असामान्यता नहीं पाई गई।

आहत नन्दनी देवी की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसके शरीर पर पर निम्न चोटें पाई गई–

1-caused by hard and blunt object, nature K/U/O- ADV- X-ray right forearm AP&LAT.
2-caused hard and blunt object. nature, K/U/O-adv- x-ray right palm AP&LAT with fingers.

चिकित्सक की राय के अनुसार आहत नन्दनी देवी को आई चोटें कठोर कुन्दालय से पहुॅचाई गई थी तथा उक्त चोटों के लिये एक्सरे की सलाह दी गई। आहत नन्दनी देवी के एक्सरे रिपोर्ट में कोई असामान्यता नहीं पाई गई है।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उन्होनें कोई अपराध कारित नहीं किया है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व मेडिकल रिपोर्ट में आपस में कोई सामन्जस्य नहीं है तथा आहतगण को आई चोटें साधारण प्रकृति की है। वादी मुकदमा व उसके पुत्र के द्वारा आये दिन लोगों के साथ मार–पीट किया जाना व प्रताड़ित करना इनकी रोज की दिनचर्या है तथा वादी मुकदमा व उसके पुत्र के विरूद्ध पॉच से अधिक आपराधिक मुकदमें लम्बित है। सह अभियुक्तगण मोहित कुमार उर्फ छोटे, विकेश लाल व राहुल कुमार की नियमित जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। आवेदकगण को गिरफ्तारी की आशंका है। इन समस्त आधारों पर उनके द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4– उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5– मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

6– सह अभियुक्तगण मोहित कुमार उर्फ छोटे, विकेश लाल व राहुल कुमार की नियमित जमानत इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की भूमिका जमानत प्राप्त सह अभियुक्तगण से भिन्न नहीं बताई गई है। अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. आवेदकगण/अभियुक्तगण आनन्द बसफोड़ उर्फ डी.डी.आर. व अतिश उर्फ नाटे का उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक की ओर से सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि के अधीन रू. 50,000/– का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र, उसी धनराशि के दो प्रतिभू एवं निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये–

1– आवेदकगण/अभियुक्तगण विवेचना/विचारण में सहयोग करेंगे,
2– आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे,
3– यदि आवेदकगण/अभियुक्तगण के पास पासपोर्ट है तो वह इसे विवेचक/सम्बन्धित न्यायालय में जमा करायेंगे,
4– आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों/आरोप विरचित किये जाने, विचारण व निर्णय आदि की तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होते रहेंगे एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेंगे,
5– आवेदकगण/अभियुक्तगण निष्पादित बंध–पत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होंगे,
6– आवेदकगण/अभियुक्तगण उस अपराध, जिसको करने का उस पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेंगे,
7– आवेदकगण/अभियुक्तगण मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति का न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते

प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण, धमकी या वचन नहीं देंगे या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेंगे।

8. इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O.Code No. 1889

दिनांक–11.03.2026

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.11 15:48:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court